आधार सीडिंग

प्रावधान:

क.रा.बी. निगम को अपनी राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-13012023-241936 (भाग-2-खंड-3 उप-खंड (ii) दिनांकित 13/01/2023 द्वारा क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, क.रा.बी. निगम ऑनलाइन आवेदन में आधार जोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया है। साथ ही नया ए.बी.एच.ए. (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या बनाने/प्राप्त करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।

आधार सीडिंग के लाभ:

1. **बीमित व्यक्ति (आईपी) का जनसांख्यिकीय विवरण क.रा.बी.नि. डेटाबेस में संग्रहीत किया जाएगा, जिससे केवाईसी का मूल भाग पूरा हो जाएगा।**

2. **सेवाओं के वितरण के समय लाभार्थियों की पहचान/सत्यापन।**

3. **आधार सीडिंग पंजीकृत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के डी-डुप्लीकेशन में बेहद मददगार होगी।**

4. **आधार सीडिंग यह सुनिश्चित करेगी कि नए कर्मचारी का पंजीकरण करते समय, पहले से पंजीकृत कर्मचारियों के लिए डुप्लिकेट पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिससे प्रचलित अंशदायी शर्तों के अनुसार बीमित व्यक्ति को अपने क.रा.बी.नि. हितलाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।**

5. **ए.बी.एच.ए. स्वास्थ्य रिकॉर्ड की अंतर-संचालनीयता प्रदान करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह स्वास्थ्य संस्थानों (अस्पतालों)/उपयुक्त प्राधिकारियों को प्रत्येक कर्मचारी के चिकित्सा इतिहास की तत्काल उपलब्धता के साथ साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।**

6. **ए.बी.एच.ए. नंबर के निर्माण से, क.रा.बी.नि. हितलाभार्थी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड अंतर-संचालनीयता से भी लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ऐसी स्थिति में मामला किसी अन्य अस्पताल में भेजा जाता है या वे एक अलग जनसांख्यिकीय क्षेत्र में उपचार लेते हैं।**

7. **आधार सीडिंग द्वारा क.रा.बी.नि. हितलाभार्थी अपने रिकॉर्ड की सभी विसंगतियों को दूर कर सकते हैं जो गलती से उनके या उनके संबंधित नियोक्ताओं द्वारा क.रा.बी.नि. को प्रस्तुत कर दी गई थीं।**

कार्यप्रणाली:

1. **उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, ओखला अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शाखा कार्यालयों, क.रा.बी.नि. अस्पताल और क.रा.बी. औषधालयों में सभी कार्य दिवसों (अस्पताल/औषधालयों के मामले में छह दिन) के लिए कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को तैनात करके आधार सीडिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है।**

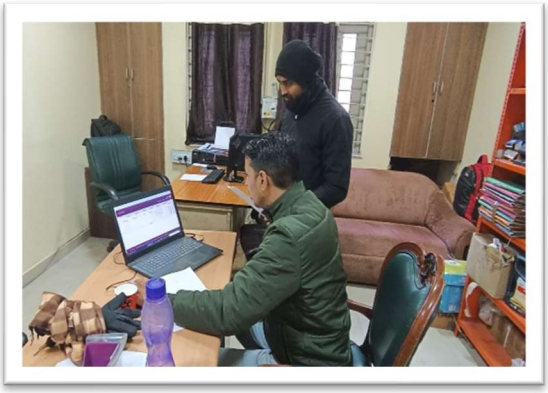

2. **अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं के परिसर के भीतर आधार सीडिंग शिविरों का आयोजन करके और सभी नियोक्ताओं/पंजीकृत बीमित व्यक्तियों को स्वेच्छा से आगे आने और आधार सीडिंग के लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।**

3. **क.रा.बी.नि. ने** “aaa+esic” **नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसे गूगल प्लेस्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप न केवल बीमित व्यक्ति और उनके आश्रितों की आधार सीडिंग करता है बल्कि चिकित्सा इतिहास सहित उनके संबंधित क.रा.बी.नि. रिकॉर्ड को** 24x7 **उनकी पहुंच में रखता है। इसलिए, नियोक्ताओं को अपनी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द ऐप के माध्यम से आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।**

क.रा.बी.नि. बीमित व्यक्तियों को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है और किसी भी चिकित्सा या रोजगार संबंधी आपात स्थिति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। क.रा.बी.नि. एक प्रतिबद्ध संगठन है जिसका 1948 **से अपने पंजीकृत बीमित व्यक्ति को हितलाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक विस्तृत इतिहास है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आज तक इसमें कई बदलाव हुए हैं।**

आधार सीडिंग भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसे नियोक्ता/बीमित व्यक्ति की भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क.रा.बी.नि. को अपनी सेवाएं योग्य बीमित व्यक्ति तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए आधार सीडिंग एक उचित तरीका है।